GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल ;म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525,2463102, 2465496
तार /Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

कमांक: 8C/33/2003-FCW/ 4372

दि0 26.11.2007

प्रति,

प्रधान सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल ।

विषय: सागर जिले में फर्शी पत्थर उत्खनन नवीनीकरण हेतु 1.00 हे0 वनभूमि श्री दिनेश कटार को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 8सी/33/2003–एफसीडब्ल्यू/3256 दिनांक 06/06/2007
2. मु0व0सं0 एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ–2/11/97/10–11/2548 दिनांक 14/11/2007 → P-239/c

महोदय,

कृपया मध्यप्रदेश शासन के उक्त विषयक पत्रांक डी/1646/1734/2003/10/3 दिनांक 29/05/2003, मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ–2/97/10–11/2060 दिनांक 19/9/06 एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 15–29/2004–आर0ओ0(एच0क्यू0) दिनांक 16/01/2007 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी । उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः केन्द्र सरकार की ओर से सागर जिले में फर्शी पत्थर उत्खनन नवीनीकरण हेतु 1.00 हे0 वनभूमि श्री दिनेश कटार के प्रस्ताव का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को कंम्पा (CAMPA) के कार्पोरेशन बैंक, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेस–I, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 में स्थित खाता संख्या CA 1580 में हस्तांतरित की जायेगी ।

3. उपयोगकर्ता के व्यय पर खनन पट्टा क्षेत्र का 4' ऊँचे आर0सी0सी0 सीमा स्तम्भों जिन पर बियरिंग, कम संख्या तथा स्तम्भ से स्तम्भ की दूरी लिखी होगी, से सीमांकन किया जाएगा ।

4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इस खनन पट्टे के अनुमोदन की अवधि इस अनुमोदन पत्र के जारी होने की तिथि से 5 वर्ष रहेगी ।

5. समीपवर्ती वनक्षेत्रों में अग्नि से सुरक्षा हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जायेगी ।

....2

SAN/APPROVAL/FINAL/MINING

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

7. प्रस्तावर्तित भूमि के अतिरिक्त किसी वनभूमि पर ओवरबर्डन की डपिंग नहीं की जायेगी ।

8. प्रस्ताव के साथ संलग्न Land Reclamation Measures का क्रियान्वयन उपयोगकर्ता के व्यय पर वन विभाग के निर्देशन में किया जायेगा ।

भवदीय,

(डॉ0 बी0एन0 मोहन्ती)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ0सी0),पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,पर्यावरण भवन,सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स,लोदी रोड, नई दिल्ली
2. मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर वनमण्डल सागर, जिला–सागर, मध्यप्रदेश ।
4. मेसर्स श्री दिनेश कटारे, गांधी चौक वार्ड, सागर, जिला–सागर, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(डॉ0 बी0एन0 मोहन्ती)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल